

न्यायालय भूमि उप समाहर्ता ,बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -01/11-12

कोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

6/8/11

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता - श्रीमती करुणा तोपनो ,पिता-स्व० इलियास तोपनो
ग्राम-बुण्डू ,पो०-बुण्डू थाना-बुण्डू ,राँची ।
क्रेता का नाम एवं पता - रंजीत कुमार सिंह ,पिता-स्व० प्रहलाद सिंह मुण्डा
ग्राम- तारु ,बुण्डू ,पो०-बुण्डू थाना-बुण्डू ,जिला-राँची ।
विद्वान अधिवक्ता का नाम - श्री गिरीस महतो ।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29/04/2011 को क्रेता रंजीत कुमार सिंह ,पिता-स्व० प्रहलाद सिंह मुण्डा के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है ।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू	28	743	299	0.12 ए० मध्ये 0.05 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया ।

अंचल अधिकारी ,बुण्डू के पत्रांक-338(ii) दिनांक-26/07/11 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि:-

- प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है ,जो आवेदक की खरीदगी जमीन है। पंजी-।। के अनुसार रैयत का नाम श्रीमती करुणा तोपनो ,पिता-स्व० इलियास तोपनो है ,जो आवेदक है।
- उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 0.07 एकड़ भूमि बच जाती है।
- आवेदक को मकान निर्माण के लिए वह 40,000/- (चालीस हजार) रुपये प्रति डीसमील की दर से कुल 2,00,000/- (दो लाख) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं।
- दोनों क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं, एवं एक ही थाना बुण्डू के निवासी हैं।

22

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता श्रीमती करुणा तोपनो, पिता-स्व० इलियास तोपनो को क्रेता रंजीत कुमार सिंह, पिता-स्व० प्रहलाद सिंह मुण्डा के हाथो प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की हैं।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-29/04/11 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की हैं।

पुनः दिनांक-27/07/11 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से भी जाँच प्रतिवेदन की पुष्टि होती हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता श्रीमती करुणा तोपनो, पिता-स्व० इलियास तोपनो के द्वारा क्रेता रंजीत कुमार सिंह, पिता-स्व० प्रहलाद सिंह मुण्डा के हाथो बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती हैं। आदेश दिया जाता हैं कि प्रस्तावित भूमि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर निम्नलिखित भूमि की बिक्री करें।

भूमि का विवरण

<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना नं०</u>	<u>खाता सं०</u>	<u>प्लॉट सं०</u>	<u>रकबा</u>
बुण्डू	बुण्डू	28	743	299	0.12 ए० मध्ये 0.05 ए०

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू रॉवी ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू रॉवी ।